

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर


क्रमांक : संस्था.-1/2023/9186

दिनांक : 4-11-2023

कार्यालय-आदेश

माननीय कुलाधिपति महोदय के पत्रांक एफ.3(4)आर.बी./2022पार्ट-6/5841 दिनांक 02.11.2023 की अनुपालना में कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था.-1/2022/7574 दिनांक 09.04.2022 की निरन्तरता में प्रो. जयन्त सिंह, आचार्य, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को, गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर की न्यायिक जांच आख्या में सत्यापन समिति को दोषी नहीं पाये जाने के कारण निलम्बन से तत्काल बहाल किया जाता है।

उक्त आदेश कुलपति महोदया से अनुमोदित है।



(कालू राम)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.-1/2023/9187-9193

दिनांक : 4-11-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रो. जयन्त सिंह, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. निजी सचिव कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।


(अरविन्द कुमार शर्मा) 04/11/23
उप कुलसचिव (संस्था.-1)